747

अति–आवश्यक

Dr. Rajesh Kumar
Principal
06.03.24

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईटः– http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
ई.मेलः– hrd.cce/gmail.com फोन न. 0141–2706736(O)

क्रमांकःएफ1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21–00638/16 दिनांकः– 06/03/2024

प्राचार्य,
समस्त राजसेस अधीन महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।
संदर्भः– विभाग का पूर्व राजकाज नम्बर 4508345 दिनांक 12.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वर्तमान में प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप महाविद्यालयों में द्वितीय सेमेस्टर में अध्यापन कार्य करवाये जाने हेतु पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देशो की पालना करते हुये आवेदन आमंत्रित कर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेंः–

(1) उक्त व्यवस्था द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो तक जारी रहेगी लेकिन नियमित नियुक्ति होने अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

(2) उक्त योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु लगाये जाने के संबंध में संबंधित प्राचार्यो के स्तर पर विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों की पालना करते हुये कार्यवाही की जानी है तथा पूर्व में दिये गये शपथ–पत्र को भरवाया जाना सुनिश्चित करें।

(3) विद्या संबल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार कर गेस्ट फैकल्टी को आवश्यकतानुसार आमंत्रित किये जाने से संबंधित समस्त कार्यवाही नोडल महाविद्यालय/राजसेस महाविद्यालय के स्तर पर ही की जानी हैं।

वित्त विभाग द्वारा दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 को जारी परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

पत्र जारी होने की दिनांक से तीन कार्य दिवस का समय देते हुये विद्या संबल योजना के तहत आवश्यकतानुसार अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी से आवेदन प्राप्त कर पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों की पालना करते हुये पैनल तैयार कर वरियता के अनुसार गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाना है। शेष शर्तें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार यथावत रहेगी।

उक्त आदेश की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए द्वितीय सेमेस्टर में 13 मार्च तक अध्यापन कार्य शुरू करवाना सुनिश्चित करें।

06/03/

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
02. नोडल महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन राजसेस महाविद्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
03. रक्षित पत्रावली।

06/03

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

कार्यालय, प्राचार्य एस. एन. के. पी. राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना

क्रमांक : एफ ( ) राकानी/स्था/2024/ 2368 दिनांक 07.03.24

प्रेस विज्ञप्ति

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 1 (02) विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21–00638/16, दिनांक 06.03.2024 की अनुपालना में "विद्या सम्बल योजना" के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में अध्यापन कार्य कराने हेतु 800/– प्रति कांलाश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी (पूर्णतया अस्थाई) के रूप में निम्नांकित महाविद्यालयों के सम्मुख अंकित विषयों में अध्यापन कार्य करवाने हेतु दिनांक 11.03.2024 को सायं 04:00 बजे तक आवेदन पत्र व्यक्तिशः या डाक द्वारा आमंत्रित हैं।

1. राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजीतगढ़ – हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र (प्रत्येक विषय में 01 पद)
2. एस. एन. के. पी. राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना – लोक प्रशासन (01 पद)

आवेदन पत्र का प्रारूप, न्यूनतम योग्यता, शर्तें, शपथ–पत्र एवं अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcneemkathana का अवलोकन करें।

नोडल प्राचार्य